

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागीर)

वादी

जगदीश वगैरह

प्रकरण : राजस्व वाद-पत्र

बनाम

प्रतिवादीगण

रामदेव वगैरह

मुकदमा नं. 178/2021
87

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये।
15.06.2021	<p>यह वादपत्र वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन जवाबदेही हेतु तलब हो। मिसल वास्ते तलबी रिपोर्ट इन्तजार दिनांक15/07/21..... को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>15/07/21 : वकील वादी उप.। गत आदेश की पालना में मिसल वास्ते तलबी दिनांक: 02/09/21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
2.9.21	<p>पत्रावली प्राप्त/ प्रतिवादी गण को जारी सम्मन की तामिल रिपोर्ट अग्रार्थ/वकालत हेतु पत्रावली दिनांक 9.9.21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
9.9.21	<p>पत्रावली प्राप्त/ पत्रावली गत प्रेडिजिक्ट की पालना में दिनांक 3.11.21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
3.11.21	<p>पत्रावली प्राप्त/ वकिल वादी पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते सम्मन हेतु दिनांक 17.01.22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
17.01.22	<p>अग्रार्थ/वकालत के अधिवक्ता Cavit-19</p> <p>दिनांक: 16/01/22</p> <p>अग्रार्थ/वकालत के अधिवक्ता Cavit-19</p> <p>दिनांक: 16/01/22</p>	<p>अग्रार्थ/वकालत के अधिवक्ता 16.3.22</p> <p>दिनांक: 27/6/22</p> <p>कार्य जायल</p>

27/6/22

अध्यापक/पत्रकारिता के अधीन


गैठायीन प्रमाणिका की तिथि में प्रमाणिका
प्रकाशित करने के लिए प्रमाणिका
नके समक्ष दिनांक 18/7/22
प्रमाणिका

18/7/2022

जंगेश
Ikhizari
श.म.

वकील वादी ने दण्ड पंजी कर
पत्रावली को आज तारीख पंजी
पर ली जाकर पत्रकारिता के मध्य
राजिनामा हो जाने से वाद को
जरिये विहील खारिज फरमाने
का निवेदन किया। पत्रावली को
नम्बर पर लिया गया। वकील
वादी एवं वादी को युक्त गमा।
वादी राजिनामा हो जाने से वाद
को चलाना नही चाहता है वादी
के हस्ताक्षर आदेशिका पर कुरवाये
जये तथा वकील वादी के पदघात
कुरवाई गई।

अतः वाद वादी का जरिये
विहील खारिज किया जाता है
मिसल नम्बर से कर होकर
वाद आप्त काथिवादी दाखिल हप्तर
रहे।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल